

Most Urgent

Reminder 2

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

1. Presiding Officer Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ambala, Panipat, Rohtak, Faridabad-I/II/III, Gurgaon-I/II and Hissar.
2. Addl. Labour Commissioner, (NCR) Gurgaon.
3. Dy. Labour Commissioner, Panipat, Panchkula, Faridabad, Gurgaon-I&II, Hissar and Rohtak.
4. Dy. Director(IS&H) Ambala, Panipat, Faridabad, Gurgaon-I and Hissar.
5. Assistant Labour Commissioner, Ambala, Yamunanagar-I, Kurukshetra, Karnal, Rewari, Sonapat-I, Bahadurgarh, Bhiwani, Sirsa, Palwal, Kaithal, Jind and Mewat.
6. Assistant Director, (Industrial Safety and Health), Yamunanagar-I, Kurukshetra, Karnal, Mewat, Rewari, Sonapat-I, Rohtak, Bhiwani & Sirsa
7. Dy. Director (Industrial Health), Faridabad and Gurgaon-II
8. AD(IH cum C.S), Ambala, Panipat, Faridabad, Gurgaon and Hissar.
9. Accounts branch for uploading on department site.

क्रमांक:- 7250-7301

दिनांक:- 25-9-2020

विषय:-

नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वेलफेयर-60 उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत **Book Adjustment** न किए जाने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 13776.428 दिनांक 14.07.2020 के सन्दर्भ में ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आप से पुनः अनुरोध किया जाता है कि आप अपने अधीन कार्यरत श्रेणी चतुर्थ के कुल सरकारी कर्मचारियों की समेकित संख्या तथा सरकार द्वारा की जाने वाले अंशदान (10 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह) के हिसाब से जो कर्मचारी 01.01.2020 से पहले सेवा में है उनकी समेकित सूचना (01.01.2020 से 30.06.2020 तक) मासिक तौर पर संलग्न प्रफोर्मा में सूचना दो दिन के अन्दर-2 विभाग की ई-मेल acclabour16@gmail.com पर तुरंत भिजवाने का कष्ट करें। अगर आपकी ओर से सूचना प्राप्त नहीं हुई तो मामला श्रम आयुक्त महोदय के ध्यान में ला दिया जायेगा, यदि मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा कोई प्रशासनिक कार्यवाही की गई तो लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

लेखा अधिकारी

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।